



CERTIFIED THAT THIS MAP IS AS PER PROVISIONS OF MASTER PLAN 2021 AND UPTI 2012.

SCHEDULE OF ROOMS/ROOF


1	RESIDENTIAL	100
2	INDUSTRIAL	100
3	COMMERCIAL	100
4	AGRICULTURE	100
5	RECREATION	100
6	UNDEVELOPED	100
7	ROADS	100
8	RAILWAYS	100
9	WATER	100
10	SEWER	100




BASEMENT PLAN



SECTION AT A-B




GROUND FLOOR PLAN



FIRST & SECOND FLOOR PLAN




TERRACE FLOOR PLAN (SCALE:1:200)



FRONT ELEVATION



SITE PLAN (SCALE:1:200)



FOUNDATION DETAIL (SCALE:1:50)

KEY PLAN (N.T.S.)

NOTE: TREE SHOWN THUS

AREA STATEMENT

S. NO.	DESCRIPTIONS	AREA IN SQM
1.	TOTAL PLOT AREA	1876.00
2.	TOTLOT OPEN SPACE AREA	297.25
3.	NET PLOT AREA	1677.75
4.	PROP. COVERED AREA AT BASEMENT FLOOR	654.50
5.	PROP. COVERED AREA AT GROUND FLOOR	654.50
6.	PROP. COVERED AREA AT FIRST FLOOR	654.50
7.	PROP. COVERED AREA AT SECOND FLOOR	654.50
8.	GROUND FLOOR OPEN AREA	1123.25
9.	PROP. COVERED AREA AT MUMTY	64.71
10.	ADOPTED GROUND COVERAGE	35.04%
11.	ADOPTED F.A.R.	0.92

PROJECT
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING PLAN ON PART OF ARAZI NO.-88 MALIZA DANDI, PARGANA ARANI, TEHSIL KARCHANA, DISTT. ALLAHABAD

OWNER
SRI. NITIN AGARWAL
SO SRI. MUKESH AGARWAL

SKIN OF OWNER
SEAL & SIGN OF ENGINEER-ARCHITECT
Sri. Pradyumn Kumar Singh
E-10, Sector-10, Noida
U.P. State Council of Architecture
Enrollment No. 25112720
Date: 15/08/2024
Page 04 of 05

LEGEND
PROPOSED COVERED AREA SHOWN THUS
RAIN WATER PIPE SHOWN THUS RWP

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 138 / प्र0अ0-भवन / जोन-4 / प्र0 / 2013-14 दिनांक 30/01/2015

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर एकल आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मितिकयत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री नितीन अग्रवाल पुत्र श्री मुकेश अग्रवाल द्वारा आराजी संख्या-96 मौजा-डांडी, परगना-अरैल, तहसील-करछना, जिला इलाहाबाद जोन संख्या (4) के अन्तर्गत दाखिल एकल आवासीय भवन मानचित्र के क्रम में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 20 अद्द वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
4. स्थल का अधिभोग/उपयोग एकल आवासीय प्रयोजन हेतु ही अनुमन्य होगा।
5. रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू-गर्भ जल बोर्ड (सिचाई विभाग) की अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् ही एफ0डी0आर0 अवमुक्त किया जायेगा।
6. सोलर वाटर हीटींग संयंत्र की स्थापना आवश्यक रूप से करनी होगी।
7. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
8. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
9. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
10. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
11. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
12. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
13. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

(पुष्कर श्रीवास्तव)

प्रभारी अधिकारी (त0स0-2)